


अध्याय : 2 निर्धारणों में प्रणालीगत कमियां और निर्धारण करने में अधिनियम/नियमों/परिपत्रों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा

2.1 इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या सभी संबंधित निर्धारितियों को समाविष्ट करने वाले तलाशी किए गए समूहों के निर्धारण और तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित निर्धारणों के संबंध में अपीलीय चरण में समूह मामलों में किए गए परिवर्धनों की संधारणीयता से संबंधित कोई प्रणालीगत कमियां थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी जांच की कि क्या विभाग ने निर्धारणों को पूरा करने में अधिनियम/नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया था।

2.2 नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में तलाशी और जब्ती अभियानों की प्रक्रिया और केन्द्रीय सर्किलों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के साथ-साथ बाद की अपील प्रक्रिया को दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 1 आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती अभियान



नोट: निर्धारितियों जहां अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू की गई है, अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद निपटान आयोग में जा सकता है।

2.3 प्रणालीगत कमियां और प्रावधानों का अनुपालन

तलाशी निर्धारणों के संबंध में रिकॉर्डों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता, मामलों का केन्द्रीयकरण, निर्धारणों के दौरान किए परिवर्धनों में एकरूपता का अभाव, सीबीडीटी के निर्देशों/आदेशों का अननुपालन, तलाशी/तलाशी के पहले की अवधि में कवर किए गए संगत निर्धारण वर्ष के गैर-निर्धारण के कारण आय का छूट जाना, निर्दिष्ट समय सीमा में निर्धारणों को पूरा न करना, शास्ति का गैर-उद्ग्रहण, तलाशी और जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा और नीचे तालिका में दिए गए अन्य मुद्दों से संबंधित ₹3,729.28 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 1291 अभ्युक्तियों को देखा गया। हमने अपीलीय चरण/निपटान आयोग में परिवर्धनों की संधारणीयता से संबंधित डेटा का भी विश्लेषण किया। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा परिणामों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। नीचे दी गई तालिका लेखापरीक्षा परिणामों का एक संख्यात्मक अवलोकन देती है।

तालिका सं. 2: प्रणालीगत कमियों से संबंधित अभ्युक्तियां और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन		
अभ्युक्तियों की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता	147	135.82
तलाशी समूहों/निर्धारितियों के निर्धारणों का केन्द्रीयकरण	386	0
निर्धारणों के दौरान किए गए परिवर्धनों में एकरूपता का अभाव	78	916.83
सीबीडीटी के निर्देशों/आदेशों का अननुपालन	85	134.19
तलाशी/तलाशी की पूर्व अवधि में कवर किए गए संगत निर्धारण वर्ष के गैर-निर्धारण के कारण आय का छूट जाना	10	2.80
निर्दिष्ट समय में निर्धारणों को पूरा न करना	1	0
शास्ति का गैर-उद्ग्रहण	145	976.54
तलाशी और जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा	369	1532.44
अन्य मुद्दे	70	30.66
कुल	1291	3729.28

2.4 तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता

सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और निर्देशों के साथ पठित अधिनियम में निर्धारितियों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यय, कटौतियों की स्वीकार्यता की शर्तों का प्रावधान किया गया। निर्धारण अधिकारी से निर्धारण कार्यवाहियों या अन्य संगत विभागीय कार्यवाहियों के दौरान तत्संबंधी अनुपालन को सत्यापित करने की अपेक्षा की गई थी। तलाशी और जब्ती की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अधिनियम में कुछ प्रावधानों के अभाव/अपर्याप्तता को पाया जिसने निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने की अनुमति दी और निर्धारणों की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया।

हमने ₹135.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ राज्यों² में 147 मामलों को देखा जहां तलाशी निर्धारणों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में त्रुटियां/कमियां थी। ये कमियां मुख्य रूप से अघोषित आय के खिलाफ हानि का समायोजन/अग्रोनित, अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा, फर्जी लेनदेनों से संबंधित पूंजीगत नुकसान की रोक के संबंध में विशेष प्रावधानों के अभाव से संबंधित हैं।

उपर्युक्त कमियों/त्रुटियों से संबंधित मामलों की आगामी पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.4.1 हानि के प्रति अघोषित आय के समायोजन/अग्रोनित

जून 2003 से पहले अधिनियम की धारा 158बीए (2) के तहत अघोषित आय का निर्धारण किया जाता था। अधिनियम की धारा 158बीए(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया था कि (क) इस धारा के तहत किए गए निर्धारण ब्लॉक अवधि में शामिल किए गए प्रत्येक पिछले वर्ष के संबंध में नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा; (ख) ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अघोषित आय को ऐसी ब्लॉक अवधि की आय के रूप में किसी नियमित निर्धारण में निर्धारित आय में शामिल नहीं किया जाएगा; (ग) ब्लॉक निर्धारण में निर्धारित की गई आय को ब्लॉक अवधि में शामिल किए गए किसी पिछले वर्ष के नियमित निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। अघोषित आय का निर्धारण अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के तहत जून 2003 से किया जाना है। हालांकि अधिनियम की धारा 153ए/153सी के प्रावधानों ने निर्धारिती को अघोषित आय के खिलाफ एक नियमित निर्धारण में हानि को समायोजित

² आं.प्र.व तेलंगाणा, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल

करने से प्रतिबंधित नहीं किया है, जैसा कि जून 2003 से पहले धारा 158बीए के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिसके कारण निर्धारिती नियमित निर्धारण में अपने हानि को अघोषित आय के साथ समायोजित करने में अनुचित लाभ ले रहा है।

इस प्रकार तलाशी और जब्ती कार्यों में पाई गई अघोषित आय के ऐसे मामलों में सरकारी खजाने में कोई राजस्व नहीं जोड़ा जो तलाशी और जब्ती कार्यों के उद्देश्य को पराजित करता है।

हमने छः राज्यों³ में 42 मामलों को देखा, जहां अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी में अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण की हानि के समंजन को प्रतिबंधित करने के विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण की हानि को समंजन/समायोजन करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, ₹ 130.32 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका। नीचे तीन मामलों के उदहारण दिए गए हैं:

- महाराष्ट्र में प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), पुणे प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी सितंबर 2015 में की गई थी और नि. वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए अगस्त 2018 में अधिनियम 153ए के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने अघोषित आय के कारण ₹ 399.71 करोड़ का संवर्धन किया और साथ ही इस अघोषित आय के प्रति ₹ 277.32 करोड़ की हानि का समायोजन भी अनुमत किया था। इस प्रकार, अघोषित आय के प्रति पिछले/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के प्रावधान के अभाव के कारण, ₹ 83.20 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।
- पश्चिम बंगाल में, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी मार्च 2015 में की गई थी। तलाशी के दौरान, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 132(4) के अंतर्गत नि. वर्ष 2015-16 के लिए कोयला गतिविधि प्रतिरक्षा से नकदी में ₹ 10.85 करोड़ की आय का प्रकटन किया। यह प्रकटन उस वर्ष के पी एंड एल लेखा में शीर्ष विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ₹ 10.85 करोड़ की घोषित अनुमानित आय को समायोजित करने के बाद ₹ 56.07 करोड़ की हानि

³ असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

पर आय की रिटर्न फाइल की। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.16 करोड़ के मूल्यहास को अननुमत करने के बाद ₹ 47.91 करोड़ की कुल हानि को निर्धारित करते हुए मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। इस प्रकार, अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 10.85 करोड़ की अघोषित आय के प्रति हानि के समंजन की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, अघोषित आय पर ₹ 3.52 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।

- पश्चिम बंगाल, पीसीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी मार्च 2015 में की गई थी। तलाशी के दौरान निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 132 (4) के अंतर्गत शपथ पर ₹ 25.13 करोड़ की आय का प्रकटन किया। यह प्रकटन वर्ष 2015 के लिए पी एंड एल लेखा में शीर्ष राजस्व संचालन के अंतर्गत दिखाया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 5.85 करोड़ की हानि का समायोजन करने और ₹ 19.28 करोड़ की कटौती के बाद शून्य पर रिटर्न को फाइल किया। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए इसकी अनुमति दी और अघोषित आय पर ₹ 8.29 करोड़ का कर नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, तलाशी अभियान में पता लगाई गई आय के प्रति हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में राजस्व की हानि हुई।

इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करें क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

2.4.2 अधिनियम की धारा 153ए/153सीके अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का अभाव

अधिनियम की धारा 153ए/153सीके अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए अधिनियम में कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 153बी यह प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल⁴ की अवधि के अन्दर निर्धारण का एक आदेश पारित करेगा, जिसमें तलाशी के लिए अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था।

धारा 158बीडी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा के गैर-विनिर्देशन का मामला सीएजी की 2006 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 में बताई गई थी, लेकिन अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी में भी इसका निपटान नहीं किया गया था।

हमने तीन राज्यों⁵ में 98 मामलों में देखा कि जहां निर्धारण अधिकारी ने उस पिछले वर्ष के अंत से पांच महीने से 21 महीने तक की अवधि के बाद निर्धारित के लिए अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी किए थे जिसमें तलाशी की गई थी। इसके अलावा, 98 मामलों में से दो में, अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत नोटिस, निर्धारण पूरा होने की दिनांक से केवल चार दिन पहले जारी किया गया था। इस प्रकार नोटिस जारी करने में काफी देरी हुई। परिणामस्वरूप, निर्धारण पूरा करने के लिए बचा हुआ समय तलाशी अभियानों के दौरान बताए गए सभी मुद्दों की गहन परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था और मानव गलतियों का जोखिम भी था, जो अंततः तलाशी निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था।

हमने पुनरावृत्ति की हैं कि सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

2.4.3 फर्जी लेन-देन से संबंधित पूंजी हानि की अननुमति के प्रावधान का अभाव

अधिनियम की धारा 74 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी निर्धारण वर्ष में, शीर्ष 'पूंजी लाभ' के अंतर्गत गणना के निवल परिणाम से

⁴ 01.04.2017 से 21 महीने

⁵ ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल

निर्धारिती को हानि होती है, तो पूरी हानि समंजन के लिए आगामी निर्धारण के लिए अग्रणीत की जाएगी। हालांकि, फर्जी लेनदेन से संबंधित पूंजी हानि को रोकने के बारे में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

कर अपवंचन के लिए, फर्जी बिल लेखा बहियों में बढ़ाये गए खर्चों को दिखाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें तथाकथित बिल मास्टर्स से फर्जी/बढ़ाये गए बीजक प्राप्त करना शामिल है, जो नकली वाउचर बनाते हैं और सुविधा के लिए मामूली कमीशन लेते हैं। हमने सीएजी की 2017 की रिपोर्ट सं. 2 में “शैल कंपनियों/हवाला संचालको द्वारा काल्पनिक विक्रय/क्रय” पर विस्तृत पैरा के रूप में ऐसे मुद्दों को उजागर किया था। हालांकि मंत्रालय ने निदर्शी मामलों के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही की है, लेकिन भविष्य में इस तरह की चूकों की पुनः आवर्तिता को रोकने के लिए तंत्र विकसित करना अभी बाकी है।

हमने महाराष्ट्र में सात मामलों को देखा, जहां निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.50 करोड़ के कर वाले नकली लेनदेन पर उत्पन्न पूंजीगत हानि को अग्रणीत करने की अनुमति दी। नीचे एक मामले का उदहारण दिया गया है:

- महाराष्ट्र, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुंबई प्रभार में, एक समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी अगस्त 2014 में की गई थी और अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत दिसंबर 2016 में शून्य आय का निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 87.40 लाख के लिए किसी अन्य कंपनी के शेयरों की बिक्री पर ₹ 3.73 करोड़ की पूंजी हानि के अग्रणीत करने का दावा किया, जो कि नि. वर्ष 2012-13 में ₹ 4.6 करोड़ के लिए अधिग्रहित किए गए। विभाग ने इस लेन-देन को नकली माना था और नि. वर्ष 2012-13 के निर्धारण में उसको अस्वीकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि निर्धारिती एक पेपर संस्था थी। चूँकि विभाग ने स्वयं इस लेनदेन को नकली माना था, ऐसे शेयरों की बिक्री पर उत्पन्न ₹ 3.73 करोड़ की पूंजीगत हानि को भी नकली माना जाना चाहिए था और पूंजीगत हानि को अग्रणीत करना अननुमत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 80.59 लाख के संभावित कर सहित पूंजी की हानि को अग्रणीत करने का गलत दावा हुआ।

विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि चूँकि कुल आय का निर्धारण शून्य में किया गया है, आय के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत कोई हानि उपलब्ध नहीं है जिसे अग्रणीत करने के उद्देश्य से माना जाए। एक बार कुल आय का निर्धारण शून्य पर किए जाने के बाद निर्धारिती द्वारा दावा की गई पूंजी हानि को अननुमत कर दिया गया था। विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं

है कि निर्धारिती द्वारा दावा की गयी हानि को अग्रणीत करने की अनुमति या गैर अनुमति के बारे में निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी की कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है। निर्धारण आदेश स्पष्ट होना चाहिए और स्वीकार्य या गैर-स्वीकार्य का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अलग मामले में विभाग ने भावी संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया।

इस प्रकार, काले धन/कर चोरी अपवंचन के होने की जांच करने के लिए नकली लेनदेन से संबंधित पूंजी हानि की अस्वीकृति के संदर्भ में समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सीबीडीटी यह जांच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियाँ हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

2.5 सभी संबंधित निर्धारितियों को शामिल करने वाले तलाशी समूह का केंद्रीकृत निर्धारण

सीबीडीटी अनुदेश संख्या 8, दिनांक 14 अगस्त 2002 और तलाशी और जब्ती नियमावली के पैरा संख्या 6.45 से 6.48 के अनुसार, समन्वित और निरंतर जांच की सुविधा के लिए तलाशी मामलों को केंद्रीय प्रभार में केंद्रीकृत किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, निर्धारण समूह-वार किया जाए ताकि एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आय का निर्धारण किसी भ्रम या संदेह के कारण अनिर्धारित नहीं रही है जिसका निर्धारण किया जाना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखाकि 12 राज्यों⁶ में कुल 185 समूहों में से 42 समूहों के संबंध में विभाग ने निर्धारण के लिए मामलों को केंद्रीकृत नहीं किया है, जिसके कारण इन निर्धारितों से सम्बंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों को सम्बंधित नहीं किया जा सका जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है।

⁶ असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका संख्या 3: उन मामलों का विवरण जहां निर्धारितियों का केंद्रीकरण नहीं किया गया था			
क्र. सं.	राज्य	समूह की सं.	निर्धारितियों की सं. जिनका केंद्रीकरण नहीं किया गया
1.	असम	1	14
2.	बिहार	4	44
3.	दिल्ली	9	40
4.	गुजरात	2	25
5.	झारखण्ड	3	35
6.	महाराष्ट्र	14	161
7.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	7
8.	ओडिशा	2	7
9.	पंजाब	1	6
10.	तमिलनाडु	1	9
11.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	1	22
12.	पश्चिम बंगाल	3	16
	कुल	42	386

नीचे तीन मामलों के उदहारण दिए गए हैं:

- तमिलनाडु, पीसीआईटी केन्द्रीय 2 कोयम्बटूर प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी सितंबर 2014 में की गई थी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अलेखांकित आय ₹ 68.42 करोड़ निर्धारित की गई। मूल्यांकन रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ₹ 68.42 करोड़ की अलेखांकित आय का निर्धारण 12 व्यक्तियों में किया जाना है। हालांकि, यह देखा गया कि ₹ 3.14 करोड़ की अघोषित आय वाले 12 निर्धारितियों में से नौ निर्धारितियों को न तो निर्धारण के लिए केंद्रीकृत किया गया था और न ही अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत आवश्यक क्षेत्राधिकारिक निर्धारण अधिकारियों को सूचित किया गया था। परिणामस्वरूप, तलाशी में बताए गए ₹ 3.14 करोड़ की अघोषित आय का निर्धारण नहीं किया जा सका और उसे कर में नहीं लाया गया।
- छत्तीसगढ़ में, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी अक्टूबर 2012 में की गई थी। एक समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट से देखा गया कि “छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, लगभग 800 एकड़ से अधिक की जमीन लगभग ₹ 0.50 लाख/एकड़ की

दर से व्यक्तिगत नाम पर क्रय गई थी और दो साल के अन्दर ही समूह प्रतिष्ठान की एक कंपनी को ₹ 20 लाख प्रति एकड़ से अधिक की दर से हस्तांतरित की गयी है। कंपनी की क्रय कीमत व्यक्तिगत भुगतान किए गए क्रय कीमत का लगभग 40 गुना है। एओ को इस मुद्दे की पूछताछ करने और जांच करने की सलाह दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण के लिए मामला केंद्रीकृत नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने कंपनी के प्रति अधिनियम की धारा 153सी/147 के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, निर्धारिती के ₹ 160 करोड़ (800 एकड़ x 20 लाख) के निवेश की सही मायने में पुष्टि नहीं की जा सकी।

विभाग ने कहा (जून 2019) कि मूल्यांकन रिपोर्ट और निर्धारण अधिकारी के दायित्व का दायरा तलाशी के निष्कर्षों तक सीमित है। इसके अलावा, सुझाव, यदि कोई हो, कार्रवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है निर्धारण अधिकारी के दायरे में हैं। बिना किसी दस्तावेज के जानकारी के अंतरित होने से निर्धारण अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला और न ही जब्त किया गया जो आय के अपवंचन पर प्रकाश डालते हैं।

विभाग का उत्तर सीबीडीटी के निर्देश सं. एफ.सं..286/161/2006-आईटी (इनव.॥) दिनांक 22 दिसंबर 2006 के मद्देनजर मान्य नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन रिपोर्ट में निकाले गए किसी परिणाम/निष्कर्ष से सहमत नहीं है, तो मामले को उच्चतम प्रमुख के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, और संबंधित अति./संयु. डीआईटी (इनव.।) के साथ निपटान करना चाहिए। यदि आवश्यक माना जाता है, तो सीआईटी (केन्द्रीय), डीआईटी (इनव.।) के साथ भी मुद्दे का निपटान कर सकता है।

- महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (कें.)-3, मुंबई प्रभार में, एक समूह के मामले में एक तलाशी सितंबर 2013 और नवंबर 2013 के बीच की गई थी। तलाशी के बाद समूह के मामलों को उप-सीआईटी, सेंट्रल सर्कल 5 (1), मुंबई में केंद्रीकृत किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि तलाशी के दौरान पता चले ₹ 63.09 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 11 मामलों को निर्धारण के लिए केंद्रीयकरण नहीं किया गया था, हालांकि मूल्यांकन रिपोर्ट में इन मामलों के केंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण के लिए इन मामलों के संबंध में अपेक्षित जानकारी को संबंधित क्षेत्राधिकारिक निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करने का कोई सबूत नहीं मिला। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा

उपलब्ध अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सका कि क्या इन मामलों में उनके संबंधित प्रभारों में निर्धारण किया गया था और मूल्यांकन रिपोर्ट में वर्णित मुद्दों को संबोधित किया गया था। इन मामलों के गैर-केंद्रीकरण के कारणों को लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सेंट्रल सर्कल में तलाशी मामलों के गैर-केंद्रीकरण के कारण, अघोषित आय से संबंधित मुद्दों की गहराई से जांच और लेन-देन की क्रेडिट योग्यता आदि के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है, इसे संबोधित नहीं किया जा सका/समर्थक सक्षयो के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका जो निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, निर्धारितियों के गैर-केंद्रीकरण के मामले में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि संबंधित निर्धारितियों की सभी आय का निर्धारण किया गया था। यदि ऐसा नहीं था, तो तलाशी और जब्ती अभियानों का मूल उद्देश्य विफल हो जाता। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकरण के मामले में, विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन है कि तलाश किये गए निर्धारितियों की सभी आय का निर्धारण किया गया है और कर में लाया गया है।

इसलिए, हम यह सिफारिश करते हैं कि आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारितियों से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केन्द्रीकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/ पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारितियों और निर्धारण अधिकारी एक दूसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

2.6 अपीलीय चरण पर समूह मामलों के किए गए परिवर्धन की संधारणीयता

2.6.1 अपीलीय चरण पर संधारणीयता

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2006 की रिपोर्ट संख्या 7 में अपीलीय चरण पर तलाशी निर्धारण में किए गए परिवर्धन के संधारणीयता का कम प्रतिशत से संबंधित मुद्दा भी उजागर किया गया था।

वर्तमान प्रदर्शन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने यह देखा कि 185 समूहों में से 84 समूहों ने निर्धारण आदेशों में किए गए परिवर्धन के विरुद्ध विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि निर्धारण में किए गए 76.5 प्रतिशत परिवर्धन, अपील में न्यायिक जाँच (सीआईटी (ए)/आईटीएटी) में ठहर नहीं पाए। इसके अलावा, 19 समूहों में अपीलीय चरण पर असंधारणीयता 100 प्रतिशत थी। अपीलीय आदेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पता चला कि अपीलीय चरण पर परिवर्धन को हटाने के प्रमुख कारण निम्नानुसार थे:

- निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा मौजूदा निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था।
- प्रावधानों/धाराओं, जिनके तहत परिवर्धन किए गए, का निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
- निर्धारिती के विरुद्ध इस्तेमाल में लाए गए तलाशी अभियान के दौरान अधिनियम की धारा 132(4) के तहत शपथ के रूप में दर्ज किए गए निर्धारिती के बयान की विषय वस्तु को न तो निर्धारिती की प्रदान किया गया और न ही निर्धारण आदेश में पुनः प्रस्तुत किया गया है जो अनियमित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।
- तलाशी के दौरान पाए गए सभी दस्तावेज लेन-देन से संबंधित थे, जो निर्धारिती द्वारा पहले से ही उजागर किए गए थे।
- परिवर्धन, जब्त दस्तावेजों/कागजात के बजाय धारणाओं पर आधारित थे।
- अघोषित आय में परिवर्धन, संबंधित निर्धारण वर्ष के बजाय किसी अन्य निर्धारण वर्ष में किया गया था।

185 समूहों में से 84 समूहों के संबंध में निर्धारण के दौरान किए गए कुल परिवर्धन की तुलना में अपीलीय चरण पर संधारित परिवर्धनों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4: निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन की तुलना में अपीलीय चरण पर किए गए संधारित परिवर्धन					
क्र. सं.	प्रभार का लाभ	समूह की सं.	निर्धारण चरण पर किए गए निर्धारिती के समूहों के लिए परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/आईटीएटी प्रभाव के बाद संधारित परिवर्धन का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1	228.49	94.54	41.37
2	बिहार	4	68.01	0.04	0.1
3	छत्तीसगढ़	1	2687.59	2687.56	100
4	दिल्ली	15	11746.34	1965.80	16.70
5	गुजरात	7	2055.41	130.29	6.3
6	कर्नाटक	4	417.13	0	0
7	केरल	4	203.24	23.33	11.5
8	मध्य प्रदेश	2	166.16	111.14	66.9
9	महाराष्ट्र	10	2114.08	301.46	14.3
10	ओडिशा	4	320.49	24.25	7.6
11	राजस्थान	5	1358.50	50.96	3.8
12	तमिलनाडु	16	2225.14	246.72	11.1
13	उत्तराखंड	1	26.74	1.35	5.0
14	उत्तर प्रदेश	1	101.59	3.17	3.1
15	पश्चिम बंगाल	9	1246.79	216.79	17.39
	कुल	84	24965.7	5857.4	23.46

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 24965.70 करोड़ के कुल परिवर्धन के प्रति अपीलीय चरण पर केवल ₹ 5857.40 करोड़ को संधारित किया गया था। अघोषित आय की कुल संधारणीयता (लगभग) 23.5 प्रतिशत थी।

₹ 19108.30 करोड़ की अघोषित आय मुख्य रूप से इन कारणों से अपीलीय चरण पर स्थिर नहीं रह पाई जैसे कि परिवर्धन, (क) तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर, जो पहले से ही निर्धारिती द्वारा घोषित हो चुके हैं, से संबंधित, (ख) मान्यताओं के आधार पर, (ग) संबंधित निर्धारण वर्ष की बजाय अन्य निर्धारण वर्ष में किए गए थे। इसके अलावा, प्रावधानों/धाराओं

जिनके तहत परिवर्धन किया गया था, का निर्धारण आदेश आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

हमने यह भी देखा कि पूर्वोक्त 84 समूहों में से 19 समूहों के मामले में निर्धारण के दौरान किए गए अपीलीय चरण ₹ 1476.42 करोड़ में से संधारित परिवर्धन शून्य था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: अपीलीय स्तर पर परिवर्धनों का शून्य अवलंब				
क्र. सं.	प्रभार का नाम	समूहों की सं.	निर्धारण चरण पर बनाए गए समूहों के निर्धारिती के लिए परिवर्धन (₹ करोड़ में)	सीआईटी(ए)/आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3	610.69	0
2	बिहार	3	65.42	0
3	दिल्ली	1	16.60	0
4	गुजरात	1	158.50	0
5	कर्नाटक	4	417.13	0
6	केरल	1	0.50	0
7	महाराष्ट्र	2	68.26	0
8	राजस्थान	1	65.43	0
9	तमिलनाडु	2	73.17	0
10	पश्चिम बंगाल	1	0.72	0
	कुल	19	1476.42	0

तलाशी निर्धारणों के दौरान किए गए परिवर्धन की कम संधारणीयता के लिए ऊपर सूचीबद्ध कारणों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से सूचना और अपेक्षित अनुसंधान आदि के संदर्भ में तलाशी शुरू करने से पहले खराब परिश्रम को इंगित करता है। कम संधारणीयता पूरी प्रक्रिया पर संदेह भी पैदा करती है।

हम सिफारिश करते हैं कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।

2.6.2 शपथ में निर्धारिती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर किए गए परिवर्धन की संधारणीयता

अधिनियम की धारा 132(4) के तहत तलाशी के दौरान और बाद में निर्धारिती का बयान दर्ज किया जाता है। इस प्रकार दर्ज किया गया बयान मजबूत साक्ष्य मूल्य का है और तलाशी लिए गए व्यक्ति पर बाध्यकारी है, जब तक कि वैध आधार पर वापस नहीं लिया जाता। बयानों को वापस लेने की अनुमति तभी होती है जब एक उचित समयावधि के भीतर हो और यह सिद्ध करने के लिए सबूत की जिम्मेदारी रिट्रैक्टर की है, कि बयानों को किसी अनुचित प्रभाव या बल प्रयोग में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा में पता चला कि बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा प्रभार के चार समूहों में अधिनियम की धारा 132(4) के तहत दर्ज बयान के आधार पर ₹ 26.42 करोड़ का परिवर्धन किया गया था जबकि केवल ₹ 4.13 करोड़ (15.6 प्रतिशत) अपीलीय चरण पर संधारित थे जैसाकि नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

तालिका सं. 6: शपथ पर निर्धारिती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर किए गए परिवर्धन की संधारणीयता				
क्र. सं.	प्रभार का नाम	समूह की सं.	धारा 132(4) के तहत दर्ज बयान के आधार पर निर्धारण चरण पर निर्धारिती के बनाए गए समूह के लिए परिवर्धन (₹ लाख में)	सीआईटी(ए)/आईटीएटी प्रभाव के बाद शेष परिवर्धन (₹ लाख में)
1	बिहार	2	2073	4
2	मध्य प्रदेश	1	409	409
3	ओडिशा	1	160	0
कुल		4	2642	413

2.7 तलाशी निर्धारण के दौरान परिवर्धन करने/निर्धारित आय को अपनाने/संशोधित आय में एकरूपता की कमी

हमने आठ राज्यों के 78 मामलों को देखा, जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करते समय फर्जी खरीद, समायोजन प्रविष्टियों और निर्धारित आय/संशोधित आय अपनाने के आधार पर परिवर्धन करने में एकसमान रूख नहीं अपनाया। उचित कारणों के बिना ही समान परिस्थितियों के तहत या तो इकमुश्त राशि के आधार पर या अलग-अलग प्रतिशत, जिसकी रेंज पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी, पर मन-माने ढंग से परिवर्धन किया गया जिसका कर प्रभाव ₹ 916.83 करोड़ था। जिससे परिणामस्वरूप

सरकारी खजाने को हानि के साथ-साथ अपीलीय चरण पर परिवर्धन की संधारणीयता हो सकती है।

2.7.1 उचित स्पष्टीकरण के बिना इकमुश्त राशि/प्रतिशत आधार का परिवर्धन

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी को कुल आय या हानि को निर्धारित करने के लिए निर्धारण करने की और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय सही कर को निर्धारित करने की आवश्यकता है। तलाशी निर्धारण के मामले में, समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आय, जिसके हाथों में निर्धारित किया जाना है, किसी भी भ्रम या संदेह के कारण अनिर्धारित न रह जाए, इसे समूहवार किया जाना चाहिए।

हमने सात राज्यों⁷ में अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत तलाशी और जब्ती मामलों के निर्धारण के समय आर्थत उचित औचित्य के बिना इकमुश्त राशि/प्रतिशत आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों में विसंगति के 72 मामलें देखे। ₹ 856.03 करोड़ के कर प्रभाव के साथ तीन मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एक ग्रुप कंपनी के मामले में नवम्बर 2011 में एक तलाशी ली गई और नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 144सी के साथ पठित धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 196 करोड़ पर आय का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2015 में निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा में पता चला कि निर्धारिती अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते समय संपूर्ण फर्जी खरीद राशि की बजाय ₹ 5.18 करोड़ की तथाकथित फर्जी खरीद के 8.40 प्रतिशत की दर पर सकल लाभ अनुपात के आधार पर केवल ₹ 43.54 करोड़ का परिवर्धन किया। इस चूक के कारण ₹ 198.73 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 474.81 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा, कमिश्नर (अपील) ने भी, परिवर्धन की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया परिवर्धन केवल तथाकथित फर्जी खरीद का एक हिस्सा है, तकनीकी तौर पर निर्धारण अधिकारी पूरी राशि को अननुमत कर सकता था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (अगस्त 2019) कि चूँकि तलाशी के साथ-साथ निर्धारण कार्यवाही के

⁷ बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

दौरान मात्रात्मक विवरण विवादित थे, इसलिए समायोजन प्रविष्टि को 100 प्रतिशत फर्जी खरीद के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे बिक्री में कमी आएगी। तदनुसार इसमें शामिल लाभ के आधार पर परिवर्धन को जोड़ा गया था। साथ ही, सीआईटी(ए) की टिप्पणी केवल एक प्रासंगिक अभिवचन था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बयान तलाशी के दौरान शपथ के तहत दिए गए थे। एकत्रित साक्ष्यों ने साफ तौर पर यह प्रमाणित किया कि इन पक्षों ने, इच्छुक पक्षों को विचार/कमिशन के लिए केवल समायोजन प्रविष्टियां प्रदान कीं। जब इन संतुष्टियों की समस्त कार्यप्रणाली केवल बुक में फर्जी और समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करना है और वास्तव में लेन-देन का वास्तविक उद्देश्य कर से बचना और बुक में बेहिसाबी धन जमा करना है, इसलिए पता चली कथित फर्जी खरीद की पूरी राशि को जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, सीआईटी (ए) के यह भी कहा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया परिवर्धन केवल तथाकथित फर्जी खरीद का एक हिस्सा था। तकनीकी रूप से निर्धारण अधिकारी पूरी राशि को मना कर सकता था लेकिन लाभ दर के समानुपाती के रूप में केवल उसके एक हिस्से की मनाही की गई।

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापट्टनम प्रभार, भुवनेश्वर ने अप्रैल 2012 में एक ग्रुप के मामले में एक तलाशी ली और मार्च 2015 में निर्धारण को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा को उक्त समूह के 40 मामलों में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय फर्जी व्ययों के आधार पर परिवर्धन किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि तलाशी निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन अनुमानित आधार पर पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच थे, यद्यपि व्यय की प्रकृति समान थी और निर्धारण प्रभार भी समान थे।
- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), नागपुर प्रभार, महाराष्ट्र में, एक ग्रुप के कंपनी के मामले में अगस्त 2012 में एक तलाशी ली गई और अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत मार्च 2016 में निर्धारण को पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 से 2013-14 के लिए अपंजीकृत व्यापारी (यूआरडी) से प्रत्येक लेन-देन में बड़ी मात्रा में सोयाबीन बीजों की खरीद की थी और धारक चेक के माध्यम से भुगतान किया था। निर्धारिती ने खरीद की वास्तविकता प्रमाणित करने के लिए कोई भी दस्तावेज जैसे पैन, विक्रेता

की पहचान और पता, वैध बीजक आदि प्रस्तुत नहीं किए थे। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए निर्धारण को पूर्ण करते समय नि.व. 2007-08 से 2008-09, 2010-11 से 2012-13 के लिए 200 टन और नि.व. 2009-10 और 2013-14 के लिए 150 टन, पर थ्रेशोल्ड सीमा निर्धारित करते हुए यूआरडी से खरीद को अनुमति नहीं दी थी। जैसा कि निर्धारिती ने यूआरडी से खरीद के कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे, अतः यूआरडी से की गई संपूर्ण खरीद को अननुमत करने की आवश्यकता थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 240.76 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 444.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन में कोई एकरूपता नहीं थी कि परिवर्धन के आधार एक समान थे और कुछ मामलों में तो निर्धारण प्रभार भी समान थे। इसके अलावा, कुछ समान मामलों में परिवर्धन की अलग-अलग प्रतिशतता पर पहुँचने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके निर्धारण आदेश में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन अपर्याप्त, व्यक्तिपरक और स्वैच्छिक थे और अपीलीय स्तर पर संधारित भी नहीं हो पाएंगे।

2.7.2 उन तलाशी मामलों में आय की गणना करते समय निर्धारित/ संशोधित आय के आंकड़ों को अपनाने में विसंगति जहां निर्धारण को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित 153(ए) के प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी, तलाशी के दौरान खोजी गई सामग्री के आधार पर निर्धारित अघोषित आय की असलियत को सत्यापित करने के बाद निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। हालांकि, तलाशी निर्धारण के मामले में प्रावधान में कोई स्पष्टता नहीं है कि नियमित निर्धारण के तहत पहले ही निर्धारित अधिकतम आय को शुरुआती बिन्दु के तौर पर लिया जाएगा या अधिनियम की धारा 153ए/153सी के तहत आय की गणना के लिए घोषित आय पर लिया जाएगा।

हमने तीन राज्यों⁸ में छह मामले देखे जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आय की गणना के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पहले से निर्धारित अधिकतम आय जैसा कि महाराष्ट्र में 14 अन्य मामलों में किया गया था की बजाय अधिनियम की धारा

⁸ गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु

153ए/153सी के तहत जारी किए गए नोटिस की प्रतिक्रिया में न्यूनतम रिटर्न आय को अपनाया। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 60.80 करोड़ के कर प्रभाव सहित तलाशी निर्धारण में गणना हेतु आय को अपनाने में एकरूप रूख नहीं अपनाया। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

- प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, सितम्बर 2012 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी ली गई। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि नि.व. 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत कोलकाता में शेयर पूंजी और प्रीमियम से संबंधित बेहिसाबी नकद क्रेडिट के प्रति समान राशि का परिवर्धन करने के बाद ₹ 95.39 करोड़ की कुल आय को निर्धारित करते हुए निर्धारिती के मूल निर्धारण को पूर्ण किया गया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अधिनियम की धारा 153सी के तहत पूर्ण करते समय मार्च 2015 में, अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पहले से निर्धारित ₹ 95.39 करोड़ के बजाय शून्य पर आय की गणना की जोकि निर्धारिती द्वारा रिटर्न आय थी। दिसम्बर 2017 में सीआईटी (ए) द्वारा परिवर्धन की पुष्टि की गई। निर्धारित आय पर विचार न करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 95.39 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 57.72 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। जबकि एक कम्पनी के मामले में, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत निर्धारण को पूर्ण करते समय आय की गणना के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत नियमित निर्धारण में पहले से ही निर्धारित आय को अपनाया।

इस प्रकार, विभाग ने तलाशी मामलों में आय की गणना करते समय कोई तर्कसंगत दृष्टि नहीं अपनाई। विभागे ने आय की गणना या तो सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभाव देकर/अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्व निर्धारित आय पर विचार करते हुए की या अधिनियम की धारा 153ए/153सी/143(1) के तहत रिटर्न आय पर की।

इसलिए, हम यह सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करे तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

2.8 सीबीडीटी निर्देशों/आदेशों की अननुपालना

2.8.1 उच्च न्यायालय के पास दायर अपील/मांग का स्थगन

बोर्ड के ओ.एम. सं.404/72/93-आईटीसीसी, दिनांक 29 फरवरी 2016, जिसमें अन्य बातों के साथ पैरा 4(ए) के माध्यम से यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे मामले में जहां सीआईटी (ए) के समक्ष बकाया मांग विवादित है, वहां निर्धारण अधिकारी, विवादित मांग के 20 प्रतिशत के भुगतान पर प्रथम अपील के निपटान तक मांग के स्थगन को मंजूरी देगा।

निर्धारण अधिकारी से, अगले उच्चतर न्यायिक प्राधिकारी को अपील की वरीयता के संबंध में सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना भी अपेक्षित है।

हमने, दो राज्यों⁹ में डीजीआईटी (अन्वेषण) के निर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालय में अपील दायर न करने और अपेक्षित मांग को एकत्र किए बिना अपील को अनुमति देने जैसे सीबीडीटी निर्देशों/आदेशों की अननुपालना के 21 मामलों को पाया। मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

- i) प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में सितम्बर 2014 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई। नि.व. 2009-10 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत ₹ 237.56 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए अक्टूबर 2016 में निर्धारण को पूर्ण किया गया और ₹ 149.71 करोड़ की मांग उठाते हुए अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग नोटिस जारी किया गया। निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की और मांग के स्थगन हेतु आवेदन किया लेकिन निर्धारण अधिकारी ने मूल मांग के 50 प्रतिशत पर मांग को संशोधित किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि विभाग ने अपील को दाखिल करने से पूर्व निर्धारिती से अपेक्षित मांग के संग्रह को सुनिश्चित नहीं किया। हालांकि, अपील की कार्यवाही जारी रही और अंततः मांग के भुगतान की पूर्व-स्थिति की अनदेखी करते हुए निर्णय हुआ। सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने का आदेश भी पारित किया गया था। इस प्रकार विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग का संग्रह नहीं किया जिसमें बोर्ड के निर्देशों की स्पष्ट: अननुपालना का संकेत मिलता है। विभाग ने कहा कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा शेष मांग के स्थगन के लिए भुगतान के रूप में मांग के भुगतान की मात्रा/हिस्से का

⁹ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल

निर्णय लेने के लिए निर्धारिती के मामले की प्र. सीआईटी को भेजने की शक्ति प्राप्त थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने मांग के स्थगन हेतु निर्धारिती के आवेदन पर विचार करते हुए उसकी मूल मांग के 50 प्रतिशत पर मांग को संशोधन किया था। यद्यपि निर्धारिती से मांग का संग्रहण नहीं किया गया था और अपील की कार्यवाही चालू थी जिस पर अंततः सीआईटी (ए) द्वारा निर्णय लिया गया था।

- ii) पीसीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में मार्च 2014 में एक ग्रुप की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई और मार्च 2016 में नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए निर्धारण (खंड निर्धारण) को पूर्ण किया गया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती की लेखा बहियों को निरस्त कर दिया और उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अघोषित बिक्री के रूप में ₹ 109.28 करोड़ का परिवर्धन किया। निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के विरुद्ध मार्च 2016 में सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील को वरीयता दी। सीआईटी (अपील) ने निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित बिक्री पर किए गए परिवर्धन को हटा दिया। इसके अलावा, आईटीएटी कोलकाता ने सीआईटी (अपील) के आदेश का समर्थन किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि डीजीआईटी (अन्वेषण), पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एनईआर ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की मंजूरी दी। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील के पुष्टि करने वाले कोई अभिलेख नहीं थे। इसी दौरान, नवम्बर 2017 में अपील दायर करने की सीमा समाप्त हो गई। विभाग ने यह पुष्टि नहीं की कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी या नहीं। यह दर्शाता है कि इस मामले में डीजीआईटी (अन्वेषण) के आदेश का पालन नहीं किया गया।

2.8.2 उच्च प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना अधिनियम की धारा 271(1) (सी)/271एएबी के तहत शक्ति की कार्यवाही को रोकना

अधिनियम की धारा 153डी के अनुसार, संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन के अलावा अधिनियम की धारा 153ए/153बी में संदर्भित प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संदर्भ में, कोई भी निर्धारण या पुनः निर्धारण आदेश, संयुक्त आयुक्त से नीचे के रैंक के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी ने जुलाई 1991 में अनुदेश सं. 1886 को जारी किया कि तलाशी मामलों में निर्धारण और शास्ति आदेश, संबंधित डीसीआईटी के पूर्व अनुमोदन

के बाद ही पारित होंगे। जहां पर अधिनियम की धारा 271(सी) के तहत शास्ति कार्रवाई आरंभ न करना हो या आरंभ होने के बाद हटा दिया जाना हो, ऐसा डीसीआईटी के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। यहां उल्लिखित करना उचित होगा कि आयकर विभाग के पुनर्गठन से पहले डीसीआईटी रैंज प्रमुख था और अब रैंज प्रमुख जेसीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी है।

हमने आंध्र प्रदेश में 64 मामले पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी)/271एएबी के तहत शास्ति प्रक्रियाओं को ₹ 134.19 करोड़ के राजस्व प्रभाव सहित उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना छोड़ दिया था। ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

- प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में मई 2013 में एक कम्पनी के मामले में एक तलाशी की गई तथा जनवरी 2015 में निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा में पाया कि उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए ₹ 17.11 करोड़ राशि की शास्ति शुरू की गई थी तथा बाद में छोड़ दी गई थी। इसीलिए शुरू की गई शास्ति को छोड़ने के संबंध में उच्च अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित सीबीडीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। विभाग ने कहा कि सीबीडीटी के निर्देश आयकर विभाग की पुर्न-संरचना तथा पुर्नसंगठन से पहले जारी किए गए थे। अधिनियम के अधीन धारा 274 के तहत रैंज प्रमुख के अनुमोदन द्वारा शास्ति का केवल उद्ग्रहण किया जाना है। 01 जून 2007 के पश्चात, तलाशियों के संबंध में अधिनियम की धारा 271(1)(सी) की 5ए व्याख्या लागू होगा तथा उक्त निर्देश प्रासंगिक नहीं है। अधिनियम की धारा 153डी केवल निर्धारण की पूर्णता के संबंध में अतिरिक्त सीआईटी के अनुमोदन के विषय में बताती है, जो शास्ति प्रक्रियाओं से अलग है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि तलाशी मामलों में शास्ति का उद्ग्रहण तथा छोड़ना, दोनों में ही निर्धारण अधिकारी तथा रैंज मुखिया, दोनों द्वारा तथ्य उपलब्ध, मामले की वरीयता के आधार पर निर्धारती के दावों तथा प्रस्तुतीकरण का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान में भी उक्त परिपत्र प्रचलन में है इसलिए, संयुक्त आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना तलाशी मामलों में शुरू की गई शास्ति को छोड़ना, निर्देशों के प्रयोजन के विपरीत है।

2.9 तलाशी में समाविष्ट किए गए/तलाशी अवधि से पहले के संबंधित निर्धारण वर्ष के गैर निर्धारण के कारण छूटी आय

अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अनुसार, निर्धारण अधिकारी उस पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष से पहले छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करेगा, जिसमें संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी तलाशी की जाती है या इसकी मांग की जाती है।

हमने तीन राज्यों¹⁰ में मामले पाए जहां निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2.80 करोड़ के कर सहित तलाशी के अधीन संबंधित निर्धारण वर्षों की समाविष्ट की गई आय का निर्धारण नहीं किया। ऐसे तीन निदर्शी मामलें नीचे दिए गए हैं:

(i) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय 2), चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, एक गुप के एक निर्धारती, के मामलें में सितम्बर 2014 में एक तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन किया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15 के निर्धारण आदेश में पाया गया कि निर्धारती के हाथ में नि.व. 2015-16 के दौरान ₹74 लाख की अघोषित आय को कर दायरे में लाया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अधीन नि.व. 2015-16 के लिए अक्टूबर 2016 में नोटिस जारी किया था, तथापि निर्धारण को अभी तक पूरा नहीं किया गया था (अगस्त 2019)। इसलिए, ₹ 21.06 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 74 लाख की आय छूटी थी। विभाग ने कहा था (जून 2019) कि चूंकि लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को प्रथम दृष्टतया: ठीक प्रतीत हो रही थी, अतः मामले की जांच की जाएगी तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय-2), चेन्नई प्रभार; तमिलनाडु में, एक गुप के एक व्यक्ति के मामले में अक्टूबर 2014 में अधिनियम की धारा 132 के अधीन एक तलाशी की गई थी। निर्धारती ने सहमति जताई थी कि एक कम्पनी से अघोषित आय में से एक दूसरे व्यक्ति को मई 2011 तथा नवम्बर 2011 को नकद में क्रमशः ₹ 15 लाख तक ₹ 18.71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण रिकार्ड से पाया कि नि.व. 2012-13 के लिए धारा 153ए के अधीन अक्टूबर 2015 में जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया गया था तथा नवम्बर 2016 में धारा 147 के अधीन कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। हालांकि, कोई

¹⁰ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

निर्धारण नहीं किया गया था। विभाग ने कहा कि नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी द्वारा एक परिशोधित रिटर्न द्वारा आय के रूप में ₹ 33 लाख की आय प्रस्तुत की गई थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अघोषित आय के निर्धारण के उद्देश्य के लिए पुनः आरंभ निर्धारण को पूरा करने में चूक के संबंध में है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को इस तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि कम्पनी द्वारा ₹ 33 लाख की आय प्रस्तुत की गई थी।

(iii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-II, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2014 में एक तलाशी की गई थी तथा अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन नवम्बर 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.17 लाख की हानि के निर्धारण के साथ निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारती ने तलाशी के अधीन समाविष्ट की गई अवधि अर्थात् नि.व. 2009-10 से पहले से ₹ 8.60 करोड़ का शेयर प्रीमियम प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इस पर कर नहीं लगाया गया था, यद्यपि निष्कर्ष यह था कि वे कम्पनियां, जिन्होंने कम्पनी को शेयर प्रीमियम दिया था, नकली थी जो नगद के बदले में समायोजन प्रविष्टियाँ देने के लिए बनाई गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के न्यूनतम कर का उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परीसीमा 6 पूर्व वर्षों की आय के निर्धारण या पुर्ननिर्धारण के लिए लगाई जा सकती है उससे अधिक के लिए नहीं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पूर्व अवधि से संबंधित अघोषित आय के निर्धारण के लिए कोई एकरूपता नहीं है। प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय-2) मुम्बई प्रभार, में दूसरे निर्धारती के मामले में पूर्व अवधि से संबंधित अघोषित आय अधिनियम की धारा 147 के अधीन मामलों को पुनः आरंभ कर के निर्धारित की गई थी।

2.10 निर्दिष्ट समय-सीमा में निर्धारणों का पूरा न होना

अधिनियम की धारा 153बी(1)बी में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष जिसमें तलाशी की गई है के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का एक आदेश बनाएगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों की अवधि के दौरान, जिनमें तलाशी के लिए आखिरी

प्राधिकरण का कार्यान्वयन किया गया था। इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां आयकर निपटान आयोग के सामने रखे गए आवेदन को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया या आगे कार्रवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है, निपटान आयोग के सामने किए गए एक आवेदन की तिथि पर शुरू तथा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त आदेश की तिथि पर समाप्त अवधि पर निर्धारण पूर्ण करने की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

हमने पंजाब के एक मामले यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्दिष्ट समय के अन्दर तलाशी निर्धारण को पूरा नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ये निर्धारण अपील स्तर पर धारणीय नहीं हो सकते जिसके फलस्वरूप राजकोष में हानि हो सकती है, जिससे तलाशी परिचालन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले नीचे इर्शाया गया है:

- सीआईटी (केन्द्रीय) लुधियाना प्रभार, पंजाब में, एक समूह के मामले में 03 अप्रैल 2012 में एक तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने रिकार्ड से पाया कि निर्धारण को 31 मार्च 2015 तक या इससे पहले पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण को 27 जुलाई 2016 तक अर्थात् पूर्णता की नियत तिथि से 16 महीने बाद पूरा किया गया था।

2.11 शास्ति का गैर-उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 271(1)(सी) की व्याख्या 5ए(ii) के अनुसार, अधिनियम की धारा 132 के अधीन शुरू की गई तलाशी के दौरान, निर्धारती ने कोई आय घोषित नहीं की थी, इससे यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय के विवरण को छुपाया था या आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया था। आय के विवरण को छुपाने के कारण टाले गए कर पर @100 प्रतिशत (अधिकतम 300 प्रतिशत) की शास्ति का उद्ग्रहण करना चाहिए।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 271एएबी में प्रावधान है कि जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन या 1 जुलाई 2012 के बाद तलाशी शुरू की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी शास्ति के रूप में एक राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा जो निर्दिष्ट पिछले वर्ष की अघोषित आय के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि इसे कर के परिवर्धन में, खड़ (ए) तथा (बी) के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है।

हमने 12 राज्यों¹¹ में 145 ऐसे मामले पाए, जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 976.54 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया, यद्यपि इसका उद्ग्रहण किया जाना था। ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

- i) प्रधान सीआईटी(सी), हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, मार्च 2012 में एक निर्धारती के मामले में एक तलाशी की गई थी तथा मार्च 2015 में निर्धारण पूरा किया गया था। तलाशी परिचालनों के दौरान यह पाया गया था कि निर्धारती व्यय को बढ़ाकर आय के उपशमन में शामिल था। इसके अलावा, निर्धारती ने तलाशी के दौरान अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन शपथ पर अघोषित आय को भी स्वीकार किया था जिसे अधिनियम की धारा 153ए के अधीन फाइल किए गए आय रिटर्न में घोषित नहीं किया था। विभाग ने अघोषित आय के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए। तथापि, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद, विभाग द्वारा नि.व. 2012-13 के लिए अधिनियम की धारा 271एबी के अधीन ₹ 1.63 करोड़ (30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर) की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2019) चूँकि विभाग तथा निर्धारती ने आईटीएटी के समक्ष अपील की थी जो अभी तक लंबित थी, अधिनियम की धारा 271एबी के अधीन शास्ती प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 275 के अनुसार प्रास्थगन किया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 271एबी के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण न होने का प्रश्न इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होता। इसका निर्णय आईटीएटी आदेश की प्राप्ति पर लिया जाएगा।

विभाग का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि दूसरे मामले में, निर्धारती ने सभी निर्धारण वर्षों की शास्ति प्राक्रियाओं के प्रति अपील की थी, परन्तु अपील के लंबित होने के पश्चात भी, नि.व. 2011-12 तथा 2013-14 के लिए शास्ति का उद्ग्रहण किया गया था। इसके अलावा, पीसीआईटी कानपुर बनाम संदीप चानदक के मामले में न्यायिक तौर पर यह माना गया है कि जब निर्धारती तलाशी के दौरान वह विवरण देता है जिसमें वह अघोषित आय को स्वीकार करता है तथा इस आय की उत्पत्ति के तरीके उस को निर्दिष्ट करता है, तो अधिनियम की धारा 271एबी के प्रावधान स्वतः पूरे हो जाएंगे।

¹¹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

- ii) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली, दिल्ली में, अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन ₹ 473.77 करोड़ की आय को निर्धारित करके एक व्यक्ति का निर्धारण मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया कि निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने रिकॉर्ड किया कि निर्धारती आय के सही तथा वास्तविक रिटर्न को फाइल करने में असफल रहा था तथा अधिनियम की धारा 271एएबी के अधीन 31 मार्च 2016 में एक शास्ति आदेश जारी किया गया था। हालांकि, इस मामले में शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया था, भले ही निर्धारती द्वारा निर्धारित कर पर की गई अपील को 18 सितम्बर 2017 में सीआईटी(ए) द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 142.13 करोड़ की न्यूनतम शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अधिनियम की धारा 275 के अधीन वर्णित शास्ति प्रक्रियाओं को प्रस्थगन करने का निर्णय समय पर अर्थात् 31 मार्च 2019 से पहले, ले लिया गया था (वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर, जिसमें सीआईटी(ए) के आदेश को प्रधान सीआईटी द्वारा प्राप्त किया गया है)।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीआईटी(ए) ने सितम्बर 2017 में राजस्व के पक्ष में अपना आदेश पारित किया था तथा इसे सितम्बर 2017 में ही सीआईटी (केन्द्रीय)-2 द्वारा प्राप्त किया गया था तथा इसलिए शास्ति का प्रस्थगन करने के बजाय 31 मार्च 2019 को या इससे पहले उद्ग्रहण किया जाना चाहिए था।

- iii) पीसीआईटी (केन्द्रीय 2) प्रभार, तमिलनाडु में एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2015 में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण को दिसम्बर 2017 में पूरा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह पाया गया था कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 269एसएस तथा 269टी के प्रावधानों के उल्लंघन में नि.व. 2009-10 से 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 5.97 करोड़ तथा 3.70 करोड़ की प्राप्तियों तथा भुगतान के नकद ऋण में शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने नि.व. केवल 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 72.92 लाख तथा ₹ 30.40 लाख की शास्ति का उद्ग्रहण किया था। शेष नि.व. 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13, 2014-15 से 2016-17 के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार चूक के

कारण क्रमशः ₹ 5.24 करोड़ तथा ₹ 3.27 करोड़ की शास्ति का गैर-उद्ग्रहण नहीं हुआ।

2.12 तलाशी तथा जब्ती के अलावा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा

हमने 19 राज्यों¹² में ₹ 1532.44 करोड़ के कर-प्रभाव सहित 369 मामले पाये, जहां निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अस्पष्टीकृत क्रेडिट का निर्धारण नहीं किया था, अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन उद्ग्रहण की बजाय सामान्य प्रावधानों पर कर उद्ग्रहित, की कम मांग की संगणना की, निर्दिष्ट दर से कम पर कर प्रभारित किया, ब्याज, अधिभार का कम उद्ग्रहण, अतिप्रभार तथा छूट दी गई आय से संबंधित व्यय को अस्वीकृत नहीं किया था, गलत न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को स्वीकृति दी आदि। निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

2.12.1 आय तथा कर/ब्याज/अधिभार की गलत संगणना

अधिनियम की धारा के अधीन, निर्धारण अधिकारी को कुल आय या हानि को निर्धारित करने के लिए एक निर्धारण करना अपेक्षित है तथा इस निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय कर को सही प्रकार से निर्धारित करना अपेक्षित है।

(क) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, मई 2012 में एक ग्रुप के एक व्यक्ति के एक मामले में एक तलाशी की गई। निर्धारिती दो ईकाइयों का मालिक था। निर्धारण रिकार्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने अपने पूंजीगत खाते में नि.व. 2008-09 के लिए उपरोक्त दोनों ईकाइयों के लिए ₹ 55.28 करोड़ का डेबिट शेष तथा ₹ 1.16 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल किया था। इसके अलावा यह भी पाया गया था कि निर्धारिती ने उचित स्पष्टीकरण के बिना मामलों के समेकित विवरण में पूंजीगत खाते में ₹ 17.11 करोड़ की राशि को शामिल किया। निर्धारण अधिकारी ने, मार्च 2015 में तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, इस पहलू का मूल्यांकन नहीं किया था। इस चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के अधीन ब्याज सहित ₹ 8.84 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत क्रेडिट का गैर-निर्धारण हुआ।

¹² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

विभाग ने उत्तर दिया कि उपयुक्त नि.व. के लिए की गई तलाशी में कोई दोषपूर्ण सामग्री नहीं थी। इसके अलावा, नि.व. 2008-09 के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि समय सीमा पहले ही बाधित थी।

प्रबंधन का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि अधिनियम की धारा 153ए के अधीन ब्लाक निर्धारण ने नि.व. 2008-09 की भी समाविष्ट किया था तथा तलाशी निर्धारण के समय पर, निर्धारण अधिकारी को ब्लाक निर्धारण के अन्तर्गत समाविष्ट किए गए सभी निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारती की कुल आय का निर्धारण या पुर्ननिर्धारण करना चाहिए था।

(ख) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, अक्टूबर 2012 में एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई तथा अधिनियम की धारा 153ए के अधीन मार्च 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए सामान्य प्रावधानों के अधीन निर्धारित ₹ 240.53 करोड़ तथा अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन निर्धारित ₹ 204.25 करोड़ की आय के निर्धारण को पूरा किया। सामान्य प्रावधानों के अधीन आय पर ₹ 81.76 करोड़ का कर प्रभारित किया गया जिसको जनवरी 2017 में विशेष प्रावधानों के अधीन ₹ 23.14 करोड़ तक संशोधित किया गया था। सीआईटी(ए) आदेश को प्रभावी बनाने के लिए धारा 250 के अधीन जुलाई 2017 में एक आदेश पारित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 250 के अधीन पारित आदेश को पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने सामान्य प्रावधानों के अधीन ₹ 4.18 करोड़ का कर प्रभारित किया। हालांकि, 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अधीन कर (₹ 23.14 करोड़) सामान्य प्रावधानों पर कर से ज्यादा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.96 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के अधीन आदेश पारित कर चूक का सुधार किया।

(ग) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, सितम्बर 2014 में एक निर्धारिती, ट्रस्ट 'ए' तथा ट्रस्ट 'बी' के पूर्व ट्रस्टी तथा ट्रस्ट 'सी' के वर्तमान ट्रस्टी के संबंध में तलाशी की गई थी। निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 के लिए धारा 139 के अधीन आय का रिटर्न फाइल नहीं किया था। 28 अक्टूबर 2016 को अधिनियम की धारा 153सी के अधीन जारी किए गए नोटिस के उत्तर में, निर्धारिती ने 23 नवम्बर 2016 को ₹ 0.56 लाख की आय को स्वीकार करते हुए आय पर रिटर्न फाइल किया

गया था। ₹ 4.56 करोड़ की आय निर्धारित करने वाले अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी के अधीन दिसम्बर 2016 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर मांग को संगणना करते समय ब्याज सहित ₹ 4.32 करोड़ की सही मांग के बजाय केवल ₹ 69.64 लाख पर मांग की गलत संगणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154 के अधीन जून 2019 में उपचारात्मक कार्यवाही की।

(घ) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) बैंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, फरवरी 2015 में एक समूह की तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती की कर मांग की संगणना करते समय, ₹ 435.72 के अघोषित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को अधिनियम की धारा 115बीबीई के अधीन 30 प्रतिशत की लागू दर के प्रति 20 प्रतिशत की सामान्य दर पर प्रभारित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.04 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ङ) प्रधान सीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, मार्च 2016 में नि.व. 2014-15 (ब्लॉक निर्धारण) के लिए एक ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि ₹ 117.83 करोड़ की कर योग्य आय पर अधिभार का उद्ग्रहण 10 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 5 प्रतिशत की दर पर किया गया था, जिससे ब्याज सहित ₹ 1.82 करोड़ के अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अधीन आदेश पारित कर चूक का सुधार किया।

(च) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार, छत्तीसगढ़ में, अक्टूबर 2012 में एक ग्रुप की एक कम्पनी की तलाशी तथा जब्ती की गई। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 493.82 करोड़ की राशि निर्धारित कर नवम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अधीन नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन 30 सितम्बर 2012 को आय पर रिटर्न फाइल किया था परन्तु अधिनियम की धारा 153ए के अधीन 31 मार्च 2013 को जारी नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल नहीं किया

था। निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 234ए के अधीन ₹ 64.12 करोड़ की बजाय ₹ 50.65 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। यह भी पाया गया कि अधिनियम की धारा 234बी के अधीन ₹ 87.58 करोड़ की बजाय ₹ 57.04 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण हुआ। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 44.61 करोड़ की सीमा तक ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(छ) प्रधान सीआईटी, केन्द्रीय जयपुर प्रभार, राजस्थान में, अगस्त 2015 में एक निर्धारिती के मामले में एक तलाशी की गई तथा दिसम्बर 2017 में नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 153ए पठित 143(3) के तहत ₹ 667.88 लाख की आय को निर्धारित किया था। हमने पाया कि अधिनियम की धारा 234(बी)(3) के अधीन ₹ 178.72 लाख के ब्याज के उद्ग्रहण की बजाय ₹ 48.61 लाख के ब्याज को प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.10 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन पारित आदेश से चूक का सुधार किया (जुलाई 2018)।

(ज) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, ग्रुप की एक कम्पनी के मामले में दिसम्बर 2015 में तलाशी की गई तथा अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी के अधीन ₹ 411.56 करोड़ की आय निर्धारित कर दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया। अधिनियम की धारा 40ए(आईए) के अधीन ₹ 338.53 करोड़ की राहत देते हुए मार्च 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अधीन निर्धारण को सुधारा गया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण में सुधार करते हुए, ₹ 312.92 करोड़ की सही राहत के प्रति निर्धारिती को ₹ 338.53 करोड़ की राहत की गलत संगणना की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.53 करोड़ के कर को शामिल करते हुए ₹ 25.61 करोड़ की अधिक छूट मिली। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन जून 2019 में त्रुटि का सुधार किया।

(झ) प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, दिसम्बर 2013 में एक ग्रुप की तलाशी की गई तथा मार्च 2016 में निर्धारण पूरा किया गया। नि.व. 2014-15 के लिए मार्च 2016 में पूरे किए गए निर्धारण में यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 14ए के साथ पठित नियम 8डी के अधीन छूट दी गई ₹ 40.83 करोड़ आय (₹ 8167.58 करोड़ के औसत निवेश पर 0.5 प्रतिशत की दर से) से संबंधित व्यय को अस्वीकृत नहीं किया गया

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.83 करोड़ की आय छूट गई तथा ₹ 21.72 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.12.2 अनियमित कटौती की स्वीकृति

अधिनियम की धारा 80आईबी (10)¹³ के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2008 से पहले अनुमोदित, एक प्रगतीशील उपक्रम तथा आवास परियोजना के निर्माण के मामले में कटौती की राशि, ऐसे आवास परियोजना से किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लाभ का शत-प्रतिशत होगी, यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना, वित्तीय वर्ष के अन्त से पांच वर्षों के अन्दर, जहां एक आवास परियोजना 1 अप्रैल 2015 तक या उससे पहले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है।

प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) गुरुग्राम प्रभार, हरियाणा में, एक गुप के मामलें में फरवरी 2014 में तलाशी की गई तथा मार्च 2016 में निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने अधिभोग प्रमाण-पत्र के आधार पर आवास परियोजना के फलैटों की सेल के संबंध में नि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के अधीन ₹ 29.58 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था तथा उसे स्वीकृत किया गया था। यह भी पाया गया कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था तथा इस तथ्य का मूल्यांकन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था परन्तु निर्धारण को समापन प्रमाण-पत्र के बिना ही पूरा किया गया था। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 29.58 करोड़ की कटौती को अस्वीकृत करना अपेक्षित था तथा सक्षम प्राधिकारी से समापन प्रमाण-पत्र को प्राप्त न करने पर इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.63 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 29.58 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

2.12.3 धारा 80आईबी के अधीन कटौती की अस्वीकार्य अनुमति

अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन आवास परियोजना विकास तथा निर्माण में नियुक्त एक उपक्रम को कटौती का प्रावधान है।

¹³ आवास परियोजनाओं के निर्माण की पूर्णता की तिथि को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे आवास परियोजना के संबंध में समापन प्रमाण पत्र की तिथि को जारी किया जाना चाहिए।

प्रधान सीआईटी केन्द्रीय-2 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, मार्च 2016 में एक ग्रुप¹⁴ की एक कम्पनी के मामले में तलाशी की गई (नि.व. 2010-11, ब्लॉक निर्धारण) तथा दिसम्बर 2017 में निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारती ने दो आवास परियोजनाओं के लिए अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 57.47 करोड़ की कटौती का दावा किया जिसे अधिनियम की धारा 153ए के अधीन निर्धारण के दौरान स्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 80आईबी(10) की शर्त के उल्लंघन, दावों की जांच के लिए आवश्यक मूलभूत जानकारी तथा स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में निर्धारती की असफलता के कारण नि.व. 2009-10, 2011-12 से 2013-14 में उक्त दो परियोजनाओं के लिए धारा 80आईबी के अधीन कटौती के दावे को निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया। परन्तु अन्य निर्धारण वर्ष में किए गए निर्धारणों के विचलन में निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2010-11 में अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन ₹ 57.47 करोड़ के दावे को स्वीकृत किया था। अधिनियम की धारा 80आईबी की अधीन कटौती की अस्वीकार्य अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 19.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 57.47 करोड़ की आय का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2018) कि अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन कटौती के दावे की अस्वीकृती नहीं हो सकती क्योंकि अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन पूर्ण किए गए निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं की गई थी तथा धारा 153ए के अधीन निर्धारण के दौरान किसी दोषपूर्ण सामग्री के अभाव में कोई परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। विभाग ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 80आईबी (10) के अधीन एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ईकाई के आवंटन की शर्त को वित्त अधिनियम 2009 द्वारा शामिल किया गया था तथा यह नि.व.2010-11 में लागू नहीं है। उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि यदि अधिनियम की धारा 80आईबी के अधीन निर्धारती कटौती के लिए पात्र नहीं था तो विभाग राजस्व की सुरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 263 या किसी दूसरे प्रावधान के अधीन उपचारात्मक कार्यवाही कर सकता था। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने श्रेणीगत खंडों पर अपने नोट में कहा (अधिनियम की धारा 80आईबी (10) के संशोधित वित्त के खंड 37) कि यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा तथा नि.व. 2010-11 के संबंध में उसके अनुसार लागू होगा। इसलिए, आयकर

¹⁴ वि.व. 2017-18

विभाग का यह दावा, सही नहीं है कि संशोधन नि.व. 2010-11 से लागू नहीं थे।

2.12.4 धारा 115जेएए के अधीन एमएटी क्रेडिट का गलत अग्रेषण

अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) में प्रावधान है कि जहां निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 115जेबी के उपखंड, (1) के अधीन 1 अप्रैल 2006 या इसके बाद के निर्धारण वर्ष के लिए एक कम्पनी होने के नाते कर की किसी राशि का भुगतान किया गया है, वहां निर्धारिती को भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट, इस खंड के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत होगा।

- प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, फरवरी 2014 में एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई थी और नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अधिनियम की धारा 153 के अंतर्गत दिसम्बर 2016 में ₹127.32 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूरा किया गया था। निर्धारित आय को मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत अपील को प्रभावी करते हुए ₹115.15 करोड़ पर संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि चालू वर्ष में ₹1.53 करोड़ के मेट क्रेडिट के समायोजन की अनुमति देने के बाद, निर्धारिती को ₹74.70 करोड़ की बजाय ₹90.43 करोड़ के शेष मेट क्रेडिट को अग्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹15.73 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹15.73 करोड़ तक मेट क्रेडिट का गलत अग्रेषण हुआ।

विभाग ने उत्तर के साथ वर्षों से मेट क्रेडिट के अग्रेषण के कार्य पत्र प्रस्तुत किए थे (सितम्बर 2019)। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग के कार्यपत्रों में नि.व. 2002-03 के बाद से मेट क्रेडिट की अनुमति दी गई है जबकि निर्धारिती ने रिटर्न में नि.व. 2006-07 के बाद की अवधि हेतु मेट क्रेडिट का दावा किया है। विभाग ने कार्यपत्रों में दर्शाए गए आकड़ों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

2.12.5 कारोबार हानि का गलत अग्रनयन

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए, कारोबार के 'लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती के लिए हानि हो, जो जोखिम कारोबार में निरंतर हानि के रूप में न हो, और अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ऐसी हानि को समंजित न किया जा सकता हो

या पूर्ण रूप से समंजित नहीं हुई हो, उतनी हानि जो अभी समंजित न की गयी हो या जहां अन्य शीर्ष में उसकी कोई आय न हो, ऐसी पूरी हानि की, इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यक्षीन, आगामी निर्धारण वर्ष अग्रणीत किया जाएगा।

- दिल्ली, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली प्रभार में, एक कम्पनी के मामलें में फरवरी 2014 में एक तलाशी की गई और मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹3.17 करोड़ तथा विशेष प्रावधान के अंतर्गत ₹1.84 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया। इसके पूर्व, ₹ 3.17 करोड़ की आय पर दिसंबर 2010 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण किया गया था। जबकि दिनांक 07 अक्टूबर 2011 के सीआईटी(ए) के आदेश की प्रभावी बनाते हुए, ₹1.78 करोड़ की कारोबार हानि को उपलब्ध आय (जिस सीमा तक आय उपलब्ध थी) के प्रति समंजित किया गया तथा ₹3.54 करोड़ की शेष कारोबार हानि आगामी निर्धारण वर्ष में समंजित किये जाने के लिए अग्रणीत करने की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-09 में समंजन हेतु केवल ₹ 2.59 करोड़ की कारोबार हानि उपलब्ध थी, इस प्रकार, ₹ 1.78 करोड़ की हानि को समंजित करने के बाद आगामी निर्धारण वर्ष में समंजन किये जाने के लिए अग्रणीत करने हेतु ₹ 0.82 करोड़ की कारोबार हानि शेष थी। तथापि, विभाग ने ₹ 3.54 करोड़ की हानि को अग्रणीत करना अनुमत किया, जिसके परिणामतः ₹ 2.72 करोड़ की हानि गलत अग्रणीत हुई जिसमें ₹ 92.36 लाख का संभावित कर प्रभाव शामिल है। विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि सीआईटी(ए) के आदेश के आधार पर नि.व. 2007-08 में निर्धारिती को ₹ 7.90 करोड़ की हानि हुई जिसे अग्रणीत किया जाना था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नि.व. 2007-08 के रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त अपील आदेश को प्रभावी बनाने हेतु विभाग ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। कर रिपोर्ट में दर्शायी गयी उपलब्ध शेष की राशि को अस्वीकृत करने के कोई विपरीत साक्ष्य नहीं थे। नि.व. 2007-08 के लिए निर्धारण रिकॉर्ड भी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित आंकड़ों की पुष्टि करते हैं।

पैरा संख्या 2.8 से 2.12 दिखाते हैं कि अधिनियम में निर्धारिती प्रावधान तलाशी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि निर्धारण प्रक्रिया

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी खजाने को संभावित राजस्व हानि को रोकने के लिए मजबूत नहीं है।

सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर की गई या चूक के कारण हैं तथा उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

2.13 अन्य मामले

हमने तीन राज्यों में 53 मामलों में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने तलाशी निर्धारणों के दौरान प्रावधानों जैसे कि अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को मामले संदर्भित न करने, आयकर अधिनियम में सनदी बैंक लेखाकार द्वारा की गई गलती पर कार्रवाई करने, प्रवृष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब करने, आयकर रिटर्न फाईल किए बिना निर्धारण, निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व संयुक्त-आयुक्त द्वारा पूर्व अनुमोदन न लेना आदि का अनुपालन नहीं किया।

हमने तीन राज्यों में 17 मामलों को भी देखा है, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए नकद भुगतान अननुमत न करना, नकद में ऋण के लिए शास्ति का न लागू करना तथा वरिष्ठ नागरिक के सम्बंध में धारा 234बी के तहत ब्याज का न लगाने से सम्बंधित 30.66 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

अवग्या के चार मामले नीचे सोदाहरण दिए गए हैं:

2.13.1 आयकर रिटर्न फाईल किए बिना निर्धारण

अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार, कंपनी होने के नाते व्यक्ति नियत तिथि पर या उससे पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान उसकी आय की रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

हमने पाया कि निर्धारिती द्वारा नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए आय की रिटर्न फाईल किए बिना एक निर्धारिती के मामले में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण पूर्ण कर दिया। इसे सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-III, मुंबई प्रभार में समूह की एक कंपनी के मामले में सितंबर 2013 में एक तलाशी की गई। अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में, प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि निर्धारिती कंपनी 21 जनवरी 2008 को निगमित की गई थी तथा 09 फरवरी 2011 को बंद कर दी गई थी, लेकिन इसमें कोई कारोबार कार्यकलाप नहीं हुए थे, कोई बैंक खाता नहीं खोला गया, और कोई वित्तीय दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए। अतः निर्धारिती द्वारा नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए आय की कोई रिटर्न फाईल नहीं

की गई। निर्धारिती का यह उत्तर स्वीकार कर लिया गया तथा मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153(ए) के अंतर्गत आय की रिटर्न के बिना शून्य आय निर्धारित करके निर्धारण पूर्ण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नियम की धारा 271(एफ) के अंतर्गत रिटर्न फाईल न करने के लिए कोई शास्ति भी उद्ग्रहित नहीं की गई। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत नोटिस का अनुपालन किया जाना चाहिए था। तथापि, इस मामले में कोई कारोबार कार्यकलाप नहीं हुए थे कोई आय नहीं हुई और इसलिए राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। चूंकि कोई आय नहीं थी और कोई कर नहीं था, अभियोग कार्रवाई भी आरंभ नहीं की जा सकती थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 153(ए) के अंतर्गत शामिल मामलों की सूची में निर्धारिती का नाम था तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को रिटर्न फाईल करना आवश्यक था।

2.13.2 निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व संयुक्त आयुक्त से पूर्व अनुमोदन न लेना

अधिनियम की धारा 153डी के प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर अधिनियम की धारा 153ए के खंड(बी) में संदर्भित प्रत्येक निर्धारण वर्ष या अधिनियम की धारा 153बी की उप-धारा(1) के खंड (बी) में संदर्भित निर्धारण वर्ष के संबंध में संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के किसी निर्धारण अधिकारो द्वारा कोई निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

बिहार में प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पटना, प्रभार में अक्टुबर 2015 में एक तलाशी की गई थी तथा ₹3.30 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए अप्रैल 2017 में नि.व. 2014-15 के लिए समुह के एक निर्धारिती का निर्धारण पूर्ण किया गया। यह देखा गया कि जेसीआईटी द्वारा ₹84.04 लाख का मसौदा निर्धारण अनुमोदित किया गया था तथापि, ₹2.46 करोड़ के परिवर्धन के बाद अंतिम निर्धारण ₹3.30 करोड़ पर पूर्ण किया गया जिसे जेसीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया नहीं पाया गया।

2.13.3 बकाया मांग के प्रति जब्त परिसंपत्तियों का उपयोजन न किया जाना

अधिनियम की धारा 132बी(1) (ii) तथा (iii) यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्तमान देयता की राशि जब्त किए गए धन से

वसूल की जा सकती है तथा यदि कोई धन जब्त नहीं किया गया हो या जब्त किया गया धन उक्त देयताओं के पूर्ण भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो अधिनियम की धारा 132बी(1) (iii) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार शेष देयताओं की वसूली के लिए अन्य जब्त परिसंपत्तियों का उपयोजन किया जा सकता है।

ओडिशा प्र. सीआईटी (केंद्रीय) विशाखापत्तनम प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच समूहों में क्रमशः सितंबर 2014, अक्टूबर 2013, अगस्त 2015, फरवरी 2016 तथा अप्रैल 2012 में की गई तलाशी में 13 निर्धारितियों से ₹ 15.53 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां तथा ₹ 65.50 लाख की नकदी के साथ साथ \$1330 की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। उपरोक्त समूहों से संबंधित निर्धारण रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 6.92 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए इन निर्धारितियों की ₹ 7.58 करोड़ की समग्र मांग के प्रति तलाशी के दौरान जब्त की गयी नकदी केवल ₹ 65.50 लाख को ही समायोजित किया। हालांकि, ₹ 14.87 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियां तथा \$1330 की विदेशी मुद्रा विभाग की अभिरक्षा में रही, निर्धारण अधिकारी ने

₹ 6.92 करोड़ की बकाया मांग के साथ इसे समायोजित नहीं किया।

2.13.4 नॉन-फाईलर पैन पर कार्रवाई

सीबीडीटी ने प्रणाली का प्रयोग करते हुए संभावित कर देयताओं वाले नॉन-फाईलर को प्रमुखता देते हुए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नॉन-फाईलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) प्रारम्भ¹⁵ की। यह प्रणाली आयकर विभाग डेटाबेस (वार्षिक सूचना रिटर्न, केंद्रीय सूचना शाखा तथा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न आदि) से उन पैन-फाईलर की पहचान करता है जिसके पास पैन है।

महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय-3) प्रभार में, समूह के एक निर्धारिती के मामले में दिसंबर 2015 में एक तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि समूह के निर्धारितियों में से एक निर्धारिती एक भागीदार फर्म, वि.व. 2010-11 में विघटित कर दी गई थी तथा तदोपरांत निर्धारिती द्वारा उसका अधिपत्य ले लिया गया और इस प्रकार पूर्ववती फर्म निर्धारिती का एक स्वामित्व प्रतिष्ठान बन गई। लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि भागीदार फर्म विद्यमान नहीं थी, फिर भी उसका पैन परिचालन में था और नि.व. 2011-12 से 2016-17 के लिए उस भागीदार फर्म के 26एस से ₹ 27.68 लाख के कर की स्रोत पर कटौती देखी गई लेकिन उपर्युक्त नि.व. के लिए भी भागीदारी फर्म द्वारा

¹⁵ 2013 के निर्देश 14 दिनांक 23.09.2013

रिटर्न फाईल नहीं की जा रही थी। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा एनएमएस ने भी इस मामले की नॉन-फाईलर के रूप में पहचान नहीं की।

2.13.5 टीपीओ को मामला संदर्भित करना

धारा 92सीए प्रावधान करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी यह करना आवश्यक समझे या ऐसा करना समीचीन हो, वह अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेनदेन संबंधी एएलपी की संगणना टीपीओ को संदर्भित कर सकता है।

हमने महाराष्ट्र में दो निर्धारितियों से संबंधित नौ निर्धारण मामलों में देखा कि टीपीओ को मामला संदर्भित करने की सभी शर्तों के पूरा होने के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने मामला टीपीओ को संदर्भित नहीं किया। एक निर्धारिती से संबंधित मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है:

- महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-2, मुम्बई में समूह की एक कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी कार्रवाई और अधिनियम की धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्रवाई मार्च 2015 में की गई तथा दिसंबर 2017 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2009-10 से 2013-14 तथा 2015-16 के दौरान निर्धारिती निर्यात बिक्री के साथ-साथ घरेलू किराया क्षेत्र (डीटीए) में भी शामिल था। नि.व. 2009-10 से 2013-14 तथा 2015-16 के लिए दुबई स्थित संबंधित पार्टियों के साथ निर्यात बिक्री ₹2800.88 करोड़ थी जो कि निर्यात बिक्री का 91.95 से 100 प्रतिशत था। निर्धारिती संबंधित पार्टियों के साथ काफी बड़ी राशि के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल था तथा अधिनियम की धारा 92ई के अंतर्गत अपेक्षित लेखाकार की रिपोर्ट को फाईल/प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 92ई की परिभाषा के अन्दर आर्मस लैथ प्राइज का निर्धारण करने के लिए टीपीओ को संदर्भित करने की सभी शर्तों को पूर्ण करने के बाद भी, मामला टीपीओ को संदर्भित नहीं किया गया। इसका राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है।

2.13.6 आयकर अधिनियम में सनदी लेखाकार द्वारा की गई गलतियों पर कार्रवाई

अधिनियम की धारा 288 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति जो विधि व्यवसायी या लेखाकार हो, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने

हेतु हकदार प्राधिकारी {भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)} द्वारा अपनी पेशेवर क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है तो आईसीएआई द्वारा पारित आदेश का आयकर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के उसके अधिकार पर प्रभावी होगा क्योंकि इसका संबंध उसके विधि व्यवसायी या लेखाकार, जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्य करने के उसके अधिकार से है।

हमने महाराष्ट्र में 18 मामले देखे जहां पर की लेखा पुस्तकों, कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान कमियां सूचित न करने पर सनदी लेखाकार पर कोई शास्ति लगाने की कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई ताकि उसे नियमित निर्धारण के दौरान संबोधित किया जा सके। दो मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- i) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पूणे प्रभार में अक्टूबर 2015 में समूह की एक कंपनी के मामले में एक तलाशी की गई। तलाशी के बाद, अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत मामला विशेष लेखापरीक्षा हेतु सनदी लेखाकार को भेज दिया गया। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष जांच लेखापरीक्षा के लिए अन्य सनदी लेखाकार को भी संदर्भित किया गया था। इन दो रिपोर्टों में कई विसंगतियां प्रतिवेदित की गईं। नि.व. 2010-11 से 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत तलाशी निर्धारण के दौरान, इन रिपोर्टों में पाई गई विभिन्न विसंगतियों के कारण ₹608.26 करोड़ को विभाग ने अननुमत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ये अनियमितताएं निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में थी, विभाग ने सनदी लेखाकार, जिसने निर्धारिती की लेखा बहियों, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा फार्म 3 सीईबी आदि को नियमित रूप से प्रमाणित किया था, उसके प्रति कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।
- ii) महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-IV, मुंबई प्रभार में समूह की एक कंपनी के मामले में अक्टूबर 2012 में एक तलाशी की गई। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारिती समूह ने आर एंड डी लेखा में कच्चे माल का व्यय दर्ज करते हुए नि.व. 2010-11 से 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत अधिक कटौती का दावा किया है जबकि कच्चे माल का उपयोग फैक्ट्रियों में किया जा रहा है। निर्धारिती ने स्वीकार किया कि एडवेंट आर एंड डी केंद्र की बहियों में अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यय गलत रूप से प्रविष्ट किए गए। जिसके कारण निर्धारिती द्वारा धारा 35(2एबी) के अंतर्गत कटौती के अधिक दावे किए गये थे।

तथापि मार्च 2015 में अधिनियम की 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण के दौरान उसे अननुमत किया गया। निर्धारिती के सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण उसकी लेखाबहिया, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा फॉर्म-3सीएल सनदी लेखाकार द्वारा नियमित रूप से प्रमाणित किए जाते थे तथा उन रिपोर्टों में कोई विसंगति सूचित नहीं की गई। इस प्रकार, निर्धारिती की लेखाबहियां निर्धारिती के दैनिक कार्यकलापों की सही और निष्पक्ष स्थिति निरूपित नहीं करती। प्रमाणपत्रों में पाई गई विसंगतियों के बावजूद, विभाग ने सनदी लेखाकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। आरंभ में, विभाग ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की कि तत्कालीन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। क्योंकि मामला न्यायाधीन था। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि अब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

2.13.7 प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में विलंब

फर्जी बिल प्रदान करने के आरोप में लगे हुए समंजन प्रविष्टि प्रदाता के प्रमाणित मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिनियम में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हमने महाराष्ट्र में एक निर्धारिती से संबंधित सात निर्धारण मामलों में देखा कि जहां विभाग ने समंजन प्रविष्टि प्रदाता पर कार्रवाई में अत्यधिक देरी की तथा मामला नीचे सोदाहरण दिया गया है:

- महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केंद्रीय), नागपुर प्रभार में, दिसंबर 2012 में एक समुह की एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्ट तथा निर्धारण आदेश से देखा कि निर्धारिती कच्चे माल की फर्जी अपंजीकृत डीलर यूआरडी खरीद तथा फर्जी शेयर आवेदन राशि आदि में शामिल था। ये सभी फर्जी बिल समंजन प्रविष्टि प्रदाता सनदी लेखाकार के माध्यम से उपलब्ध कराये गए थे। अधिनियम की धारा 279(1) के अंतर्गत संस्वीकृती/प्राधिकार के अनुमोदन से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सनदी लेखाकार ने जानबूझकर तथा स्वेच्छा से निर्धारिती को कर चोरी करने में सहायता की तथा जानबूझकर और स्वेच्छा से निर्धारिती को अधिनियम की धारा 276सी(1) के अंतर्गत अपराध करने हेतु उकसाया। अधिनियम की धारा 277ए तथा 278 के अंतर्गत सनदी लेखाकार के अभियोजन हेतु स्वीकृति/प्राधिकार 08 अक्तुबर 2018 को जारी किया गया तथा सहायक आयुक्त, आयकर, केंद्रीय सर्कल 2(2), नागपुर को नि.व. 2007-08 से

2013-14 के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में फौजदारी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राधिकृत किया। इस प्रकार, निर्धारण की तिथि (अर्थात् 30 मार्च 2015) से साढ़े तीन साल तथा तलाशी की तिथि (अर्थात् समंजन प्रतिष्ठियां उपलब्ध कराने की वास्तविक जानकारी) से 6 वर्ष 10 माह बीत जाने के बाद फौजदारी शिकायत दर्ज कराने हेतु संस्वीकृति/प्राधिकार जारी किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2019 की आरसीसी द्वारा सनदी लेखाकार के अभियोजन हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागपुर के समक्ष फौजदारी शिकायत दर्ज की गई है। इस प्रकार विभाग ने अभियोजन प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से विलंबित किया।

2.14 निष्कर्ष

अधिनियम में सुस्पष्ट विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण निर्धारिती को अनुचित लाभ अनुमत किया गया। इन प्रावधानों में अघोषित आय के विरुद्ध हानि का समंजन/अग्रणीत करना अधिनियम की धारा 153ए/153सी के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु समय-सीमा का न होना, जिसके परिणामतः निर्धारण के लिए कम समय मिला जिसमें मानवीय भूल का जोखिम था जो निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था फर्जी लेनदेनो से संबंधित पूंजीगत हानि की अननुमती शामिल था।

विभाग ने निर्धारण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु जांच में इंगित मामलों की गहराई से जांच करने को सरल बनाने के लिए केंद्रीय प्रभारों में सभी मामलों को केंद्रीकृत नहीं किया। तलाशी निर्धारणों में आयकर विभाग द्वारा किये गए परिवर्धन अपीलीय स्तर पर या तो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाए या बहुत ही कम प्रतिशत मामले ही स्थिर रहे तथा साथ ही परिवर्धन करने में न तो उनमें एकरूपता थी और न ही समुचित औचित्य । आयकर विभाग ने आरंभिक आकड़ों को अपनाने में समान स्टैंड नहीं लिया। अर्थात् अधिनियम की धारा 143(3)1 के अंतर्गत/सीआईटी(ए) के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए पहले से निर्धारित आय या तलाशी मामलों में आय की गणना हेतु, अधिनियम की धारा 153ए/153सी/143(1) के अंतर्गत रिटर्न की गई आय विभाग ने नियमित निर्धारण में हानि के प्रति अघोषित आय के अनियमित समायोजन को अनुमत किया। विभाग ने सीबीडीटी के वर्तमान निदेशों/परिपत्रों का अनुपालन नहीं किया और निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए मूल्यांकन प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों का संज्ञान नहीं लिया। सीएजी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन 2006 की सं. 7 में उठाए गए अधिकतर मुद्दे अभी तक विद्यमान हैं।

2.15 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- (i) सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

(पैराग्राफ 2.4.1)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करे क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

- (ii) सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

(पैराग्राफ 2.4.2)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

- (iii) सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियाँ हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- (iv) आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(पैराग्राफ 2.5)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का

एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारिती से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केंद्रीयकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/ पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी एक दुसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

- (v) विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें।

(पैराग्राफ 2.6)

- (vi) सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करे तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

(पैराग्राफ 2.7, 2.8 से 2.12)